दिनांक 25.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ होटल एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स में बनें बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के रुप में नहीं करने वाले 6 संस्थाओं के बेसमेंट को निगम के भवन अनुज्ञा की टीम ने पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की मौजुदगी में सील बंद किया है। जिलाधीश उमेश अग्रवाल एवं आयुक्त के0एल0चौहान के निर्देश पर निगम के भवन अनुज्ञा टीम ने जीई रोड के किनारे बने होटल एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स जिन्होनें अपने भवन पुर्णतः प्रमाण–पत्र पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के रुप में किये जाने की स्वीकृति प्राप्त किया था, इसके बाद भी बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के रुप में नहीं कर रहें थे शहर के ऐसे पांच बड़े होटल वत्स एक एवं दो, अमित पार्क, लोटस एवं जैनईन को तथा एक व्यावसायिक काम्पलेक्स दीपक एडवाटाईजिंग के भवन में बने बेसमेंट को आज सील बंद किया है। यातायात को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर श्री अग्रवाल एवं आयुक्त श्री चौहान ने नगर तथा ग्राम निवेश व नगर निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा की संयुक्त टीम गठित कर एक पखवाड़ा पूर्व ऐसे संस्थाओं के बेसमेंट को पार्किंग के रुप में उपयोग करने की अंतिम समझाईस दिया था इसके पूर्व नगर निगम द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2016 में नोटिस जारी किया था बार–बार समझाईस के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन भवन मालिकों द्वारा नहीं किया गया जिसके बाद मंगलवार को उच्चाधिकारियों द्वारा दिये निर्देश पर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा की टीम सुपेला पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के साथ सुबह 11 बजे बेसमेंट पर कार्यवाही प्रारंभ किया और पांच होटल एवं एक व्यवसायिक काम्पलेक्स के बेसमेंट जिसका उपयोग गोडाउन तथा अन्य प्रायोजन के लिए किया जा रहा था को सील बंद किया है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने कहा है कि शहर के बड़े भवन मालिक जिन्होने अपने भवनों में बने बेसमेंट को जिस प्रायोजन के लिए स्वीकृत करवाया है उसी के अनुरुप बेसमेंट का उपयोग करें। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ताकि शहर के यातायात व्यवस्था व्यवस्थित हो सके। कार्यवाही के दौरान भवन अनुज्ञा शाखा के तपन अग्रवाल, संजय दीवान, दयाल दास साहू, प्रतुल्ल श्रीवास्तव, भाउराव वैद्य, दौलत चन्द्राकर, सुरेश केवलानी, श्री वर्मा, तोड़फेड़ दस्ता के प्रभारी यतीन्द्र नाथ देवांगन, ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधि श्री यादव, सहित निगम एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी